रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042024-253605
CG-DL-E-08042024-253605

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1558] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 8, 2024/चैत्र 19, 1946
No. 1558] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 8, 2024/CHAITRA 19, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, अप्रैल 8 , 2024

का.आ. 1641(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्यस्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, झारखंड (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) गठित करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:--

(क) श्री कमलेश पाण्डे, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त) - अध्यक्ष;
आर्य एनक्लेव, गोविंद नगर, टिल्टा, रातू,
रांची, झारखंड-835222

(ख) डा. कीर्ति अविषेक, - सदस्य;
सिविल और पर्यावरण इंजीनियरी विभाग,
बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान,
मेसरा, रांची 835215

(ग) मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता,

वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, - सदस्य सचिव।

झारखंड

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट हैं ।

4. प्राधिकरण, झारखंड राज्य के लिए पैरा 6 के अधीन गठित राज्यस्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर अपना विनिश्चय करेगा ।

5. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में किए जाएंगे और सामान्य रूप से सर्वसम्मत होंगे :

परन्तु यदि कोई विनिश्चय बहुमत द्वारा किया जाता है तो इसके पक्ष और उसके विपक्ष में, विचारों के ब्यौरे कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से लेखबद्ध किए जाएंगे और उनकी एक प्रति पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजी जाएगी ।

6. केन्द्रीय सरकार, झारखंड राज्य सरकार से परामर्श करके, प्राधिकरण की सहायता करने के प्रयोजन के लिए, राज्यस्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, झारखंड (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) श्री अशोक कुमार सिंह, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त) - अध्यक्ष;
फ्लैट नं. 105, वसुंधरा एलिगान्स,
हारमू बाईपास रोड,
निकट अरगोरा चौक,
पूरण विहार, रांची, झारखंड, पिन-834002

(ख) श्री निरंजन लाल अग्रवाल, - सदस्य;
स्टेशन रोड, डाक घर, बाराकार 713324,
जिला पश्चिम वर्धमान, पश्चिमी बंगाल

(ग) डा. राजू कुमार, - सदस्य;
फ्लैट नं.111, ब्लाक-ए, सिटी प्लेस,
शेरे पंजाब चौक, आदित्यपुर,
जमशेदपुर-831013

(घ) श्री अशोक कुमार दुबे, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त) - सदस्य;
फ्लैट नं. 401/बी, श्री गणेश अपार्टमेंट,
अशोक विहार,
अशोक नगर गेट नं. 1 के सामने,
रांची, झारखंड, पिन-834002

(ङ) डा. अजय गोविंद भट्ट, - सदस्य;
बी-904, एक्सप्रेशन एक्सोटीका, गोला रोड, दानापुर,
पटना, बिहार, पिन – 801503

(च) मंडल वन अधिकारी, रांची वन मंडल, - सदस्य -सचिव;
रांची, झारखंड

7. समिति के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

8. हित के किसी विरोध से बचने के लिए,--

(i) प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष या सभापति और सदस्य,--

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से जुड़े हैं;

(ख) ऐसी परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंध योजना को तैयार करने के संबंध में कोई परामर्श नहीं करेंगे या सहयोग नहीं करेंगे जिसका प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय किया जाना है या समिति द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान मूल्यांकन किया जाना है ; और

(ii) यदि समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरण समाघात निर्धारण अध्ययन संचालित किया है तो वे अपने आपको ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया से समिति के बैठकों से दूर रखेंगे ।

9. समिति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

10. समिति, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसमत्ति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि वे सर्वसमत्ति पर पहुंचने में असफल रहते हैं तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

11. राज्य सरकार, प्राधिकरण और समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अभिकरण को विनिर्दिष्ट करेगी ; और

सचिवालय, वित्तीय और संभार-तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन भी है और उक्त अधिसूचना के अधीन उनके कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ।

12. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता, और महंगाई भत्ता राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[फा. सं. जे-11013-75/2008-आईए-II(I)(पीटी.)]
डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2024

S.O. 1641(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India, in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Jharkhand (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following persons, namely:—

(a)	Shri Kamlesh Pandey, IFS (Retd.) Aarya Enclave, Govindnagar, Tilta, Ratu, Ranchi, Jharkhand-835222	- Chairman;
(b)	Dr. Kirti Avishek. Associate Professor, Department of Civil And Environmental Engineering, Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi 835215	- Member;
(c)	Chief Conservator of Forest, Vigilance, Forest, Environment and Climate Change, Department, Jharkhand	- Member- Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 6 for the State of Jharkhand.

5. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to MoEF.

6. The Central Government, in consultation with the State Government of Jharkhand, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Jharkhand (hereinafter referred to as the Committee), comprising of the following persons, namely:—

(a)	Shri Ashok Kumar Singh, IFS (Retd.) Flat No. – 105, Vasundhra Elegance, Harmu By Pass Road, Near Argora Chowk, Puran Vihar, Ranchi, Jharkhand, Pin – 834002	–	Chairperson;
(b)	Shri Niranjan Lal Agarwalla, Station Road, P. O. Barakar 713324, District Paschim Bardhhaman, West Bengal	–	Member;
(c)	Dr. Raju Kumar, Flat no. 111, block-A, City palace, Shere punjab chowk, Adityapur, Jamshedpur-831013	–	Member;
(d)	Shri Ashok Kumar Dubey, IFS(Retd.) Flat No. 401/B, Shree Ganesh Apartment, Ashok Vihar, Opposite to Ashok Nagar Gate No. 1, Ranchi, Jharkhand, Pin-834002	–	Member;
(e)	Dr. Ajay Govind Bhatt, B-904, Expression Exotica, Gola Road, Danapur, Patna, Bihar, PIN – 801503	–	Member;
(f)	Divisional Forest Officer, Ranchi Forest Division, Ranchi, Jharkhand	–	Member- Secretary.

7. The Chairperson and Members of the Committee, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

8. In order to avoid any conflict of interest,-

(i) the Chairman or Chairperson and Members of the Authority, and the Committee shall,-

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(ii) if the Chairperson or any Member of the Committee has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent during the preceding five years, they shall recuse themselves from the meetings of the Committee from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

9. The Committee shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

10. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach consensus in each case, and if they fail to reach consensus, the view of the majority shall prevail.

11. The State Government shall specify an agency to act as Secretariat of the Authority and the Committee and the Secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

12. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committee, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the State Government.

[F. No. J-11013-75/2008-IA-II(I)(Pt.)]

DR. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.04.08 23:23:45 +05'30'